अन्तर्गत न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–906 / 2026

ऋतु कुमार उर्फ ऋतु राज बनाम् बिहार सरकार

04.06.2026 आवेदक ऋतु कुमार उर्फ ऋतु राज, जिसे हलई थाना कांड सं0–83 / 2025, अन्तर्गत धारा 309(4) भा0 न्या0 सं0, में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी सूचक मनीष कुमार झा के आवेदन–पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 17.05.2025 को 8.00 बजे शाम में सूचक ताजपुर से अपने घर आ रहा था। रास्ते में डिहिया पुल के उत्तर लगभग 100 मीटर पहले अचानक दो मोटर साईकिल पर चार लोग सवार होकर उसे आगे से रास्ता रोकते हुए गाली–गलौज एवं गोली मारने की बात करने लगे और रोकने की कोशिश किए तथा आगे आकर उसके गाड़ी को रोकते हुए मारपीट करने लगे और गाड़ी का चाभी खींच लिया तथा हेलमेट निकालने को कहा और उसी हेलमेट से उसे मारना शुरू किया और जेब से मोबाईल एवं नगद निकाल लिया। उसके साथ धर्मेन्द्र कुमार को भी उसी तरह से मारपीट कर उसका मोबाईल एवं नगद लगभग 12000 रू0 छीन लिया और फोर लाईन से भाग गया।

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमर कुमार पाठक अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र को प्रचालित करते हुए कथन किये कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है एवं कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक ताजपुर थाना कांड सं0–72 / 2025 में अभियुक्त है जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक एक सम्मानित व्यक्ति है जिसका अपने समाज में अच्छा प्रतिष्ठा एवं सम्मान है। आवेदक के पलायन एवं उसके द्वारा साक्ष्य के साथ छेड–छाड़ की भी संभावना नहीं है तथा वह बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को उसकी गिरफ्तारी या निम्न न्यायालय में आत्म समर्पण करने की स्थिति में जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध किए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचक एवं उसके साथी धर्मेन्द्र कुमार के साथ गाली–गलौज करने, मारपीट करने एवं मोबाईल, नगद तथा मोटर साईकिल छीनकर भाग जाने का आरोप लगाया गया है जिसका समर्थन मूल केस दैनिकी की कंडिका 2 में वादी ने अपने पुनः बयान में एवं कंडिका 3 में साक्षी ने अपने बयान में किया है। केस दैनिकी की कंडिका 31 में सह अभियुक्त नीतीश कुमार का दोष स्वीकारोक्ति बयान है जिसमें उसने अपना दोष स्वीकार करते हुए आवेदक एवं अन्य के साथ घटना कारित करने की बात कहा है। केस दैनिकी की कंडिका 32 के अनुसार सह अभियुक्त नीतीश कुमार के उपरोक्त स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उसके पास से घटना में लूटी गई मोटर साईकिल, मोबाईल एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद किया गया है

Web Copy

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र सं0–906/2026

लगातार

04.06.2026 जिसकी जप्ती सूचि इसी कंडिका में उल्लिखित की गई है। आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति गंभीर है एवं आवेदक का समान प्रकृति का एक आपराधिक इतिहास भी है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आरोप की प्रकृति एवं उसकी गंभीरता को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक ऋतु कुमार उर्फ ऋतु राज की अग्रिम जमानत की प्रार्थना को अस्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक के गिरफ्तारी पर लगाया गया रोक वापस लिया जाता है।

लेखापित

ह0/–

अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम

Web Copy